न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –99/2018

अनवान

चर्तुभुज पिता विरम जाति धाकड पेशा काश्त निवासी खातीखेड़ा का बाड़िया प.ह0 एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान ।

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार महोदय रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ राज.

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित – श्री लालचन्द प्रजापत प्रार्थी
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 27.04.2026

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मुझ वादी के खातेदारी हक एवं कब्जे काश्त की आराजीयात ग्राम रूपपुरा प.ह. एकलिंगपुरा, तह रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ में स्थित होकर सवत् 2056–59 की जमाबन्दी की खाता संख्या 19 की खसरा संख्या 23 मी रकबा 2.07 हैक्टे. किस्म बारानी, लगानी 4.81 रूपये पैसे दर्ज रिकार्ड होकर उक्त आराजी को मुझ वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के प्रार्थी ने दिनांक 06.05.1982 को खरीद की है तभी से उक्त आराजी के सम्पुर्ण रकबे पर वादी ही काबीज होकर काश्त कर रहा है। अभी हाल ही में हुए नवीन सेटलमेन्ट वादी की वाद पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात को सेटलमेन्ट अधिकारियो ने भूल व त्रुटिवश बिना वादी को सुने आनन फानन में वादी को खातेदारी से हटा दिया है, वादी जिस स्थान पर काबिज होकर नियमित रूप से काश्त कर रहा उक्त आराजी वर्तमान में बिलानाम सरकार रिकार्ड दर्ज कर दिया है, इस प्रकार भू प्रबंधन अधिकारियो द्वारा बिना सूचना कराए प्रार्थी के खाता संख्या 19 की खसरा संख्या 23 मी रकबा 2.07 हैक्टे. किस्म बारानी, लगानी 4.81 रूपये पैसे दर्ज रिकार्ड दर्ज आराजी को बिलानाम दर्ज रिकार्ड कर दिया जिसके सेटलमेंट के बाद नये नम्बर 385 रकबा 0.89 हैक्टे. व 387 रकबा 1.49 है0 बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड है, जिसमें से वादी की खाते की कम हुई आराजी को पुरा किया जा सकता है, जबकि उक्त आराजी पर खरीद दिनांक से प्रार्थी काबीज होकर काश्त कर रहा है तथा कब्जे काश्त आराजी है तथा एडवर्स पजेशन भी वादी का ही है, जिससे उक्त आराजी, दुरूस्त कर पुर्वाअनुसार खाते दर्ज रिकार्ड किया जाना न्यायोचित है। अंत मे वादी द्वारा निवेदन किया है कि वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृर्षि आराजीयात जमाबन्दी सवत 2056–59 की जमाबन्दी की खाता संख्या 19 की खसरा संख्या 23 मी रकबा 2.07 हेक्टे. किस्म बारानी, लगानी 4.81 रूपये पैसे दर्ज आराजी की पूर्ति वादी के कब्जे काश्त आराजी जिसके नये नम्बर 385 रकबा 0.89 हैक्टे. व 387 रकबा 1.49 हैक्टे. बिलानाम सरकार से पुर्ति करते हुए आराजी को पुर्वाअनुसार दुरूस्त कर उक्त आराजी खाते में वादी के नाम दर्ज रिकार्ड किये जाने की घोषणा की जाकर उसी अनुसार नक्शे में तरमीम की जाए तथा विपक्षी को पाबंद किया जावे कि वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त हक की आराजी पर हस्तक्षेप ना करे ना करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा दिनांक 24.09.2024 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रूपपुरा प.ह. एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत् 2056–59 के खाता संख्या 19 में खसरा सं. 23 मी. रकबा 2.07 है. भूमि श्री चतरभुज पिता बीरम धाकड़ सा. बाड़िया के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जमाबन्दी की प्रति

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संलग्न है। शेष सिद्ध करने का भार वादी स्वंय का है। वाद पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 2 व 3 में नवीन भू–प्रबन्ध रिकार्ड में वादी चतुर्भुज पिता बीरम धाकड़ के खाते में गत खसरा नं. 23 मी. रकबा 2.07 है0 पृथक से नवीन नम्बर नहीं बनाये जाकर वादी के नाम कोई भूमि दर्ज नहीं की गयी है। नवीन भू–प्रबंध रिकार्ड अनुसार आराजी संख्या 385 रकबा 0.89हे0 एवं आराजी संख्या 387 रकबा 0.49है0 भूमि वर्तमान में बिलानाम दर्ज रिकार्ड होकर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल रिकार्ड नवीन आराजी संख्या 385 जो कि गत आराजी संख्या 19 मी., 21 मी. व 23 मी. से बने है तथा नवीन आराजी संख्या 387 रकबा 1.49है0 गत आराजी संख्या 22 मी. व 23मी. से बने हैं। प्रार्थी का गत आराजी संख्या 23 मी. होकर यह कही भी पृथक रूप से स्पष्ट अंकित नहीं है कि वर्तमान आराजी संख्या 385 व 387 प्रार्थी के ही गत आराजी संख्या 23 मी. से बना है। (मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति सलंग्न है)। मौके पर प्रार्थी चतुर्भुज पिता बिरम धाकड निवासी बाड़िया के आराजी संख्या 385 व 387 पर कब्जा होना नहीं पाया गया। वाद पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 4 को सिद्ध करने का भार वादी स्वयं का है। वाद पत्र में अंकित बिंदु संख्या 5 व 6 कानूनी है। वाद पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 7 न्यायालय से संबंधित है।

वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिए गए किन्तु साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने पर वादी के साक्ष्य न्यायालय द्वारा बंद किए गए।

हमने वाद पत्र पर वकील वादी के विद्वान अभिभाषकगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी। वकील वादी ने बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि ग्राम रूपपुरा प.ह. एकलिंगपुरा, तह रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ में स्थित होकर सवत् 2056–59 की जमाबन्दी की खाता संख्या 19 की खसरा संख्या 23 मी रकबा 2.07 हैक्टे. किस्म बारानी, लगानी 4.81 रूपये पैसे दर्ज रिकार्ड होकर उक्त आराजी को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के प्रार्थी ने दिनांक 06.05.1982 को खरीद की है तभी से उक्त आराजी के सम्पुर्ण रकबे पर वादी ही काबीज होकर काश्त कर रहा है। अभी हाल ही में हुए नवीन सेटलमेन्ट वादी की वाद पत्र में वर्णित आराजीयात को सेटलमेन्ट अधिकारियो ने भूल व त्रुटिवश बिना वादी को सुने आनन फानन में वादी को खातेदारी से हटा दिया है, वादी जिस स्थान पर काबिज होकर नियमित रूप से काश्त कर रहा उक्त आराजी वर्तमान में बिलानाम सरकार रिकार्ड दर्ज कर दिया है। अतः उक्त बिलानाम दर्ज रिकार्ड आराजीयात को वादी के नाम खातेदारी हक से घोषणा की जावे तथा विपक्षी को पाबंद किया जावे कि वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त हक की आराजी पर हस्तक्षेप ना करे ना करावें। इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने जवाब में वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकर कर निवेदन किया कि नवीन भू–प्रबंध रिकार्ड अनुसार आराजी संख्या 385 रकबा 0.89हे0 एवं आराजी संख्या 387 रकबा 0.49है0 भूमि वर्तमान में बिलानाम दर्ज रिकार्ड होकर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल रिकार्ड नवीन आराजी संख्या 385 जो कि गत आराजी संख्या 19 मी., 21 मी. व 23 मी. से बने है तथा नवीन आराजी संख्या 387 रकबा 1.49है0 गत आराजी संख्या 22 मी. व 23मी. से बने हैं। प्रार्थी का गत आराजी संख्या 23 मी. होकर यह कही भी पृथक रूप से स्पष्ट अंकित नहीं है कि वर्तमान आराजी संख्या 385 व 387 प्रार्थी के ही गत आराजी संख्या 23 मी. से बना है। (मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति सलंग्न है)। मौके पर प्रार्थी चतुर्भुज पिता बिरम धाकड निवासी बाड़िया के आराजी संख्या 385 व 387 पर कब्जा होना नहीं पाया गया। इस आधार पर वादी का वाद पत्र खारीज योग्य होने से खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत शहादत सबूत के आधार पर प्रकरण में कायम वाद बिन्दू निम्न प्रकार से निर्णित किये जाते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तनकी नंबर –1

आया वादी जमाबंदी सम्वत् 2056–59 की खाता संख्या 19 खसरा संख्या 23 मी. रकबा 2.07है0 आराजीयात पर रजिस्टर्ड खरीद दिनांक से काबिज होने से खातेदारी हक का अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने से उक्त तनकी को साबित कराने में असफल रहे। तहसीलदार रिपोर्ट में प्रार्थी का गत आराजी संख्या 23 मी. होकर यह कही भी पृथक रूप से स्पष्ट अंकित नहीं है कि वर्तमान आराजी संख्या 385 व 387 प्रार्थी के ही गत आराजी संख्या 23 मी. से बना है (मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति सलंग्न है)। मौके पर प्रार्थी चतुर्भुज पिता बिरम धाकड निवासी बाड़िया के आराजी संख्या 385 व 387 पर कब्जा होना नहीं पाया गया है। जिससे उक्त तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर –2

आया वादी की कब्जे काश्त आराजीयात पर सेटलमेंट से पूर्व से वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने विवादित आराजीयात कें कब्जे के संबंध में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किए तथा तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट में नवीन आराजी संख्या 385 व 387 पर कब्जा नहीं पाया गया अंकन किया है, उक्त आराजीयात पर वादी अपने वाद पत्र में खातेदारी की घोषणा चाही गई है। अतः उक्त तनकी उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी साबित करा पाने में असफल रहने से बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

अनुतोष –

वादी अपने जिम्मे के वाद बिन्दू साबित करा पाने में असफल रहने से वादी ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का एकलिंगपुरा की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की खसरा संख्या 385, 387 कुल किता 02 कुल रकबा 2.38है0 भूमि को वादी के नाम खातेदारी व प्रतिवादी के नाम स्थायी निषेधाज्ञा का पाबंद किये जाने के अधिकारी नहीं पाए जाते है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में आवश्यक तथ्य एवं साक्ष्य पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः प्रकरण विचारणीय नहीं पाया गया व वाद पोषणीय नहीं है तथा वादी अपने कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहा है।

–:आदेशः–

अतः प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर धारा–88, 188 आर.टी.ए. व धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट के अंतर्गत कोई राहत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। वादी का वाद अन्तर्गत धारा–88, 188 आर.टी.ए. व धारा 136 रा.ले. रे.एक्ट का उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद पत्र निरस्त (खारिज) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हों।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को सुनाया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा
जिला चितौडगढ़ (राज.)